

फ्रीहोल्ड विलेख

झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित दुकान का स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु यह अनुबंध सं०..... के ई० सन् 20 मास के.....वे दिन (तदनुसार शक सम्वत् के.....मास के दिनको जिसको एतद् पश्चात् प्रथमपक्ष कहा गया है।

तथा

श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति.....

(पेशा-.....) एवं श्रीमती.....

(पेशा-.....) निवासी-.....

.....(जिसको एतद्पश्चात् द्वितीय पक्ष कहा गया है)

मध्य निष्पादित किया जाता है। (श्री

की पहचान क्रमशः आधार कार्ड संख्या..... तथा.....

से की गयी) एवं सम्पत्ति अधिकारी झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी की पहचान आधार कार्ड

संख्या द्वारा की गयी।

और चूंकि इस विलेख की अनुसूची में निर्दिष्ट दुकान द्वितीय पक्ष को आबंटित हुआ था। आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन अनुसूची में निर्दिष्ट दुकान का स्वामित्व रु०(रुपया मात्र) के एवज में द्वितीय पक्ष को हस्तांतरित किया जाना है।

और चूंकि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को अनुसूची में वर्णित दुकान संख्या स्थित ट्रांसपोर्ट नगर योजना में प्रस्तावित 50 (पचास) दुकान (फेज-1), झांसी का स्वामित्व व्यावसायिक प्रयोजन हेतु दिया जाना स्वीकार कर लिया गया है।

और चूंकि जनपद झांसी की महायोजना/आसपास की भूमि के उपयोग के आधार पर वर्तमान में उक्त वर्णित दुकान का व्यावसायिक उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना है।

अतः द्वितीयपक्ष द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि का उपयोग महायोजना में निर्दिष्ट आसपास की भूमि के भू-उपयोग के अनुसार ही किया जायेगा।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित उ०प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 सपटित

एवं शासनादेश संख्या-1639/9-आ-1-95-80 मिस/86 दिनांक 10 मई, 1995 तथा शासनादेश संख्या-1778/9आ-1-95-80 मिस/86 दिनांक 24-05-95 के अनुसरण में निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि अनुसूची में वर्णित दुकान का स्वामित्व द्वितीयपक्ष के पक्ष में घोषित किये जाने हेतु द्वितीयपक्ष द्वारा प्रथमपक्ष को रूपयाकेवल (रूपया.मात्र) स्थित बैंक चालान संख्या..... दिनांक.....द्वारा किये गये भुगतान (जिसकी प्राप्ति प्रथमपक्ष एतद् द्वारा स्वीकार करता है) के प्रतिफल स्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों जिनका पट्टागत दुकान का फ्री-होल्ड दुकान में परिवर्तन अनुमन्य है। और चूंकि द्वितीयपक्ष ने उसके द्वारा धारित पट्टागत दुकान निजी स्वामित्व वाली (फ्री-होल्ड दुकान) घोषित करने तथा उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु आयुक्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद/उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थनापत्र दिया गया है। और, चूंकि पट्टागत दुकान को फ्री-होल्ड में परिवर्तित किये जाने विषयक जारी उपर्युक्त शासनादेशों में दिये उपबन्धों के अनुसार आयुक्त आवास एवं विकास परिषद/उपाध्यक्ष/सचिव विकास प्राधिकरण, झांसी के आबंटन आदेश संख्या/जे०डी०ए०/ट्रांसपोर्ट नगर योजना (फेज-1)/20...../दिनांक-..... द्वारा आकलित एवं निर्धारित संपूर्ण धनराशि रूपया(रूपये..... मात्र) द्वितीय पक्ष द्वारा जमा कर दिये जाने पर प्रथमपक्ष एतद्द्वारा आगे वर्णित शर्तों के अधीन, इस विलेख की अनुसूची में वर्णित पट्टागत दुकान को निजी स्वामित्व वाला (फ्री-होल्ड) दुकान घोषित करने तथा उस पर द्वितीयपक्ष को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु सहमत है। और चूंकि उ०प्र० में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित उ०प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-19 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, अधिनियम, 1965-शासनादेश संख्या-1639/9-आ-1-95-80मिस/86 दिनांक 10 मई, 1995 तथा शासनादेश संख्या-1778/9-1-95-80मिस/86 दिनांक 24-05-95 के अनुसरण में उक्त पट्टागत दुकान को फ्री होल्ड में परिवर्तित किया जा सकता है।

अतः उक्त दृष्टिगत विधि एवं शासनादेशों के अनुसरण में यह अभिलेख साक्षी है कि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित, दुकान द्वितीय पक्ष के पक्ष में फ्री होल्ड (निजी स्वत्व) घोषित करने हेतु द्वितीयपक्ष द्वारा प्रथमपक्ष को रूपया केवल (रूपया.....
..... मात्र) स्थित बैंक चालान संख्या..... दिनांक
..... द्वारा किये गये भुगतान (जिसकी प्राप्ति प्रथमपक्ष एतद्वारा स्वीकार करते हैं) के प्रतिफलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों जिनका द्वितीयपक्ष पालन करेगा, को ध्यान में रखते हुये प्रथमपक्ष द्वारा वह दुकान उनकी सीमाओं सहित जिसका विवरण इस अनुसूची में दिया गया है. और जो स्पष्टीकरण के लिए इस विलेख से संलग्न रेखाचित्र में लालरंग में दिया गया है फ्री-होल्ड घोषित करते हैं. उस पर निजी स्वत्व प्रदान करते हैं. अतएव द्वितीयपक्ष, उसके दावाधिकारी तथा समानुदेशिती सदा के लिए उसे अपने अधिकार में रखेंगे। इस विलेख के निष्पादन के दिनांक..... से इसकी अनुसूची में वर्णित पट्टागत दुकान पर द्वितीयपक्ष को निजी स्वत्व को प्राप्त हो जायेगा, तदानुसार द्वितीयपक्ष इस दुकान को प्रभावी विधि, नियमों एवं विनियमों के अधीन रहते हुये अपनी इच्छानुसार प्रयोग करने अथवा हस्तान्तरण के लिए स्वतंत्र रहेगा।

इस विलेख की अनुसूची में वर्णित दुकान या उस पर निर्मित अथवा इस विलेख की अनुसूची में वर्णित दुकान या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किए जाने वाले दुकान पर करों का भुगतान द्वितीयपक्ष करेगा।

इस विलेख से दोनों पक्षों या उसके दावेदार के बीच कभी भी या उसके संबंध में इसके विषय पर उत्पन्न होने वाले विवाद, मतभेद अथवा प्रश्नों राज्य सरकार के आवास विभाग को संदर्भित किये जायेगे और उन पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगे। इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के संबंध में होने वाले संपूर्ण व्यय द्वितीयपक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो। प्रथम पक्ष में उसके पद के उत्तराधिकारी एवं समानुदेशितियों का तथा द्वितीयपक्ष में उसके दावाधिकारियों, निष्पादकों, प्रबंधको प्रतिनिधियों एवं समानुदेशियों का अन्तर्भाव सदैव रहेगा। इस विलेख के साक्ष्य में द्वितीयपक्ष और प्रथमपक्षों की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी ने उक्त तिथि को हस्ताक्षर कर दिये है जो उनके हस्ताक्षर नीचे लिखी है।

इस विलेख में अभिदिष्ट अनुसूची निम्नांकित है :-

दुकान संख्या.....स्थित ट्रान्सपोर्ट नगर योजना (फेज-1)वर्ग मीटर

जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है

पूरब में : सडक मीटर
पश्चिम मे : भूखण्ड.....Type Plot
उत्तर में : भूखण्ड संख्या.....
पक्षिण में : भूखण्ड संख्या.....

फ्री-होल्ड के लिए द्वितीयपक्ष ने संपूर्ण धनराशि रूपयाचालान
संख्या/दिनांक/..... इत्यादि के द्वारा जमा कर दी है।
क्रेता के हस्ताक्षर उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण/सक्षम प्राधिकारी की
ओर से तथा उनके द्वारा प्राधिकृत।

श्री एवं श्रीमती

निवासी-

साथी (1)-

निवासी-

पेशा-

आधार कार्ड संख्या-

मोबाईल-

साथी (2)-
निवासी-
पेशा-
आधार कार्ड संख्या-
मोबाईल-

उत्तर प्रदेश शासन कर एवं निबन्धन अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या 13/क०नि०
-7-440/11 -2015 -700(111)/13 दिनांक 30.03.2015 में दिये गये निर्देशों के क्रम
में आबंटियों को एक वर्ष के अन्दर निबन्धन कराकर कब्जा प्राप्त पर प्रतिफल की
धनराशि पर स्टाम्प शुल्क अदा करने के निर्देश दिये गये हैं। आबंटी को उक्त के क्रम
में निबन्धन हेतु पत्र संख्या दिनांक द्वारा सूचित
किया गया है। दुकान संख्या का भूमि मूल्य रु०
लीजेरेण्ट रु० कुल रु० (.....
..... मात्र) है, पर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर
से स्टाम्प शुल्क आंकलित करते हुये रु० का स्टाम्प
शुल्क अदा किया जा रहा है। आबंटी को अभी कब्जा नहीं दिया गया है।

नोट- श्री जितेन्द्र सिंह सहवार सम्पत्ति अधिकारी झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा श्री दीपांकर पुत्र स्व० श्री देवेन्द्र नाथ यादव निवासी के०बी०-० कर्पूरी पुरम गोविन्द पुरम गाजियाबाद उ०प्र० को उपनिबन्धक कार्यालय में सम्पत्ति अधिकारी द्वारा निष्पादित लेखा पत्रों को प्रस्तुत करने तथा पंजीकृत कराने हेतु तस्दीकसुदा मुख्तार नामा दिनांक द्वारा अधिकार दिया गया है। तसदीक सुदा मुख्तार नामा कार्यालय उप निबन्धक झांसी सदर प्रथम दिनांक को बही संख्या- जिल्द संख्या- के पृष्ठ से तक के क्रमांक- में पंजीकृत हुआ है।